भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1877

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

दाम्पत्य कलह

1877. श्री धर्मबीर सिंह:

डॉ. राजीव भारद्वाज:

श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) वैवाहिक कलह अथवा घरेलू हिंसा के कारण पति-पत्नी में से किस एक के द्वारा दूसरे की अनुमति के बिना बच्चों को ले जाने के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और स्थिति क्या है; और

(ख) संपूर्ण देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने विवादित मामले हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने उन बच्चों के मामलों का समाधान करने के उपाय किए हैं जिन्हें वैवाहिक कलह अथवा घरेलू हिंसा के कारण पति या पत्नी में से

किसी एक के द्वारा दूसरे की अनुमति के बिना दूसरे देश से भारत या भारत से दूसरे देश ले जाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मध्यस्थता के महत्व को ध्यान में रखते हुए और बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा हेतु अभिभावकीय योजना तैयार करने के लिए तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों को हल करने हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में एक मध्यस्थता सेल का गठन किया है।

इसके अलावा, वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ इस मंत्रालय द्वारा एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) की स्थापना की गई है। ऐसे मामलों में पति या पत्नी या ऐसे बच्चे का वर्तमान अभिरक्षक, या बच्चा/बच्ची स्वयं अनुभाग अधिकारी, बाल कल्याण-I अनुभाग, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को संबोधित करते हुए आईएनए को आवेदन कर सकता/सकती है या निर्धारित आवेदन प्रारूप के अनुसार e-mail-ina.childcustody-wcd@nic.in के माध्यम से भेज सकता/सकती है। मामलों के तथ्यों के आधार पर आईएनए मामले को अभिभावकीय योजना विकसित करने के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ को भेजता है।

मध्यस्थता प्रकोष्ठ संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाकर अभिभावकीय योजना विकसित करने का प्रयास करता है और आपसी सहमति से मामले को हल कराने का प्रयास करता है। मध्यस्थता प्रकोष्ठ मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईएनए को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। हालांकि, आईएनए अपने विवेक से मामले को फिर से मध्यस्थता प्रकोष्ठ को भेज सकता है। आईएनए द्वारा मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एक अंतिम स्पष्ट आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश मामले में शामिल पक्षों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संबंधित दूतावास को उपलब्ध कराया जाता है।

*****